रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18052022-235828
CG-MH-E-18052022-235828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 256] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 18 मई, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/86.—वायदा बाजार आयोग (जो पहले हुआ करता था) द्वारा, तारीख 9 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2565 (अ) के माध्यम से, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 [फॉरवर्ड कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1952] की धारा 6 के अनुसार इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को अधिसूचित किया गया था;

2. और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 28क (28ए) की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि वायदा बाजार आयोग का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में विलय हो जाने के बाद, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत मान्यताप्राप्त सभी संघों (असोसिएशन) को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] के तहत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समझा जाए, इसीलिए इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बन गया;

3. और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई तारीख 13 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 672(अ) के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि जहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की यह राय हो कि स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान की गई मान्यता व्यापार (ट्रेड) के हित में या लोक हित (जनहित) में वापस ले ली जानी चाहिए, वहाँ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान की गई मान्यता वापस ले ली जाती है;

4. इसीलिए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को प्रदान की गई मान्यता वापस ली जाती है।

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./75/2022-23]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th May, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/86.—Whereas the erstwhile Forward Market Commission, vide notification number S.O. No. 2565 (E) dated 9th October, 2009, notified the Indian Commodity Exchange Limited in terms of section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952;

2. And whereas sub-section (1) of section 28A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 provides that pursuant to the merger of the Forward Market Commission with the Securities and Exchange Board of India, all the associations recognised under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 were deemed to be recognised stock exchanges under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Indian Commodity Exchange Limited became a deemed recognised stock exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

3. And whereas sub-section (1) of section 5 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the notification number S.O. 672 (E) dated 13th September, 1994 issued by the Ministry of Finance provides that where the Securities and Exchange Board of India is of the opinion that the recognition granted to a stock exchange be withdrawn in the interest of the trade or in the public interest, the recognition granted to such stock exchange stands withdrawn;

4. Therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 5 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India hereby notifies that, the recognition granted to the Indian Commodity Exchange Limited stands withdrawn.

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./75/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.18 21:25:16 +05'30'